पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

गेंहूवाड़ा

ग्राम पंचायत - पुनाली

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गेंहूवाड़ा गाँव के वृद्ध लोग बताते हैं कि गाँव करीब 150 वर्ष पुराना है। वे लोग बतलाते हैं कि गाँव किसी राजपूत ठाकुर ने बसाया था लेकिन उनका नाम किसी भी गाँववासी को नहीं मालूम है। गाँव के बुजुर्गों के अनुसार यहाँ पर गेंहू की पैदावार खूब होती थी और खेतों के पास ही लोग बाड़े बना कर रहा करते थे, जिसके कारण गाँव का नाम गेंहूवाड़ा पड़ गया। गांव में छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं और एक धार्मिक स्थल(धूणी) है। अभी वहाँ मंदिर नहीं बना है। धार्मिक स्थल धूणी पर बकरा/भेड़/ अन्य पशु जैसे मुर्गे आदि की बलि दी जाती थी लेकिन अब बलि प्रथा लगभग बंद है। वहाँ वर्तमान में नवरात्रि के अंतिम दिन अगरबत्ती, नारियल, मिठाई के प्रसाद और धूप-बत्ती आदि से पूजा करते हैं।

गाँव का परिचय – गेंहूवाड़ा गाँव की ग्राम पंचायत पुनाली ब्लाक-दोवड़ा तथा तहसील और जिला डूंगरपुर है। गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 36 किलोमीटर दूर उत्तर में बसा हुआ है। गेंहूवाड़ा गाँव के पड़ोसी गाँव भोजाता, कजड़ी घाटा, पातली और नयागांव पुनाली हैं । गाँव में लगभग 220 घर और आबादी करीब 1100 है। गाँव के तीन मुख्य फले निम्नवत हैं-

1. गेहूवाड़ा फला (80 घर)
2. नागेला फला(40 घर)
3. बलवानिया फला(100 घर)

गाँव में मात्र अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं जो अहारी, परमार, रोत उपजाति के हैं। गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख सन 2018 में हुआ था। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। महिलाओं में पेसा कानून की जानकारी थोड़ी कम है। गाँव के कुछ घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। गाँव की ज्यादातर जमीन समतल किन्तु असिंचित है। बाकी कुछ जमीन पहाड़ी ढलान और ऊबड़-खाबड़(असमतल) तथा पथरीली है। वह जमीन भी असिंचित है। केवल बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द और अरहर पैदा होती है। खेती में उत्पादन बहुत कम होता है। जिनके पास समतल भूमि है के साथ स्वंय का सिंचाई साधन जैसे बोरवेल है, उनकी भूमि पर 6 से 7 महीने खाने का अनाज पैदा हो जाता है। बाकी लोगों को 2 से 4 महीने ही खाने की व्यवस्था खेती से हो पाती है। सरकारी राशन की दुकान पर भी प्रति व्यक्ति मात्र 5 किलो गेहूं प्रति महीने मिलता है। जिससे उनका गुजारा होना संभव नहीं है। उज्जवला गैस कनेक्शन कुछ लोगों को मिला है और इस कारण मिट्टी का तेल एक वर्ष से पूरे गाँव का बंद कर दिया गया है। पूरी रात लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ती है, क्योंकि बिजली रहती नहीं है। शाम को प्रकाश के लिए लोग लकड़ी जलाते हैं। जिनके घर बिजली है, वहाँ कभी-कभी रात में बिजली मिल जाती है। जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिए बिना प्रकाश के रहना मुश्किल है। सबसे ज्यादा परेशानी पढ़ने वाले बच्चों को होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के रात में उनकी पढ़ाई बंद है। बाजार में मिलने वाला सत्तर रुपए लीटर मिट्टी का तेल खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं है।

गाँव के रीति-रिवाज एवं त्यौहार - गेंहूवाड़ा के लोग दिवासा, दशहरा, होली, दीवाली, रक्षाबंधन, दशामाता आदि त्यौहार मनाते हैं। होली पर सब एकत्रित होकर नाचते और गाते हैं। अपने-अपने घर से गुड़ नारियल लेकर आते हैं। होलिका के चारों और घूमते हैं। गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दोपहर में मक्का की घुघरी बना कर उसका चढ़ावा देते हैं। छोटी दिवाली (चतुर्दशी) पर भजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। गाँव के लोगो में दहेज़ प्रथा भी प्रचलित है, जिसमे लड़की को बर्तन, खाट आदि उपहार दिए जाते हैं। लड़के वाले लड़की के लिए आभूषण लेकर जाते हैं। होली के त्यौहार पर नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन होली के चारों तरफ नारियल और पानी लेकर पानी को गिराते हुए नारियल को होली में डालते हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण और भोज किया जाता है। अनुष्ठानों और रीति रिवाजों में पूर्वजों को दारु की धार से पूजा करके मनाया जाता है।

आवागमन की स्थिति - गेंहूवाड़ा डूंगरपुर से 36 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। डूंगरपुर में नया बस स्टैंड से सरकारी रोडवेज/निजी बस मिलती है, जो पुनाली उतारती है। पुनाली से ऑटो से गेंहूवाड़ा आना-जाना पड़ता है जो सात किलोमीटर दूर है। जो ऑटो मिलते हैं वो भरने पर ही चलते हैं। जिनके लिए कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कई बार गाँव वाले पैदल ही आते-जाते है। गाँव के फलों में जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। लोगों को पैदल ही जाना पड़ता। गाँव के लोगों को दैनिक खरीददारी हेतु सात किलोमीटर दूर पुनाली जाना पड़ता है। गाँव के सभी परिवार दूर-दूर बसे हैं। उनके घरों तक आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते(पगडंडियाँ) हैं। चार पहिया वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकता। बरसात के दिनों में रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, जिससे उन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गेहूंवाड़ा गाँव में दो पक्के रोड, तीन कच्चे रोड हैं। गाँव में तीन छोटे-छोटे नालों पर पुलिया बनी हुई है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गेहूंवाड़ा गांव में दो आंगनवाड़ी है -

1. आंगनवाड़ी गेहूंवाड़ा
2. आंगनवाड़ी बोर पालड़ा

दोनों आंगनवाड़ियों का फर्श खराब है और शौचालय भी नहीं है। गाँव में एक माँ बाड़ी है जो देवलिया में है। उसका परकोटा नहीं है। वहाँ पर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था और रसोई घर भी नहीं है। गाँव में दो विद्यालय हैं । एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गेहूंवाड़ा और दूसरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलिया है। दोनों विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गरीबी और अरुचि के कारण भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गेहूंवाड़ा स्कूल के छः कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। परकोटा भी टूटा-फूटा है तथा स्कूल में शौचालय नहीं है। गाँव के दूसरे विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलिया में भी शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी समतल नहीं है। स्नातक शिक्षा के लिए बच्चों को 36 किलोमीटर दूर डूंगरपुर आना पड़ता है। जो

बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वह भी आने-जाने के साधन के अभाव और आर्थिक तंगी के कारण आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं और जीविका की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं।

गाँव में इलाज के लिए एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। जिसमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त है। वहाँ मात्र टीकाकरण और प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। इसलिए मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाली ले जाते हैं। लोगों के घर दूर-दूर पहाड़ियों पर है। घरों तक कच्ची पगडंडियाँ हैं, जिस कारण चार पहिया वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकता। वहाँ से मरीजों को पहाड़ियों से झोली अथवा चारपाई में डालकर गाँव की सड़क तक लाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिल पाता है। साधन की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ती है। कभी-कभी 108 को भी फ़ोन करते हैं। लम्बे इन्तजार और प्रश्नोत्तर के बाद 108 आती है। उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन की स्थिति खराब है। कमरों की छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता है। उसका फर्श और परकोटा भी जर्जर है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैं-

आवागमन की कमी - गेंहूवाड़ा गाँव जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। पहाड़ी रास्ते ऊबड़-खाबड़ हैं। गाँव के फलों में कच्चे रास्ते या पगडंडी हैं। बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा असुविधाजनक स्थिति बीमारों को लाने ले जाने में होती है। आवागमन के साधन गाँव के सभी फलों तक नहीं होने से गाँव वालों को पैदल चलकर पुनाली की मुख्य सड़क तक बीमारों को लाना पड़ता है। तब कहीं जाकर साधन मिलता है। गेंहूवाड़ा गाँव जाने के लिए डूंगरपुर से पुनाली तक बस या जीप से जाते हैं। उसके बाद पुनाली से गेंहूवाड़ा मुख्य सड़क तक ऑटो मिलता है। ऑटो के इंतजार में लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ता है। जब तक सवारियाँ नहीं भर जाती, तब तक टेम्पों नहीं चलते हैं। गाँव के पाँच रास्तों की हालत बहुत खराब है। ये निम्नवत है -

1. रामू के घर से चौराहे के घर तक
2. ईश्वर भांणजी के घर से ओमप्रकाश के घर तक
3. दिनेश/हकरा के घर से धूणी तक
4. वर्ली से स्कूल तक ग्रेवल सड़क
5. भैरव जी से सरदारों के तालाब तक (पुलिया की भी जरूरत है)

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ होने से कुछ भूमि असमतल, पथरीली और पहाड़ों की ढलान वाली है। समतल जमीन केवल पहाड़ी की तलहटी में है, मगर वह असिंचित है। एक समय जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज से गाँव की जरूरतें पूरी होती रहती थीं। जंगल की सुरक्षा और संरक्षण गाँव वाले मिलकर करते थे। अब वह स्थिति नहीं है। गाँव की कुछ पहाड़ियों पर लोगों का कब्जा है, लेकिन लोगों द्वारा पहाड़ियों पर किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं होता है। उसमें केवल बरसात के समय जो घास उगती

है उसी को जानवरों के खाने के चारे के रूप में काट कर लाते हैं। उनकी खेती की जमीन असमतल और असिंचित है। समतल जमीन भी असिंचित है। जिनके पास निजी बोरवेल हैं वे लोग ही अपनी फसलों की सिंचाई कर पाते हैं। बाकी की फसलें प्रकृति के भरोसे ही होती है। गाँव में 5 हैंडपंप, 8 कुँए, चार तालाब और तीन नाले हैं। गेंहूवाड़ा गाँव का भूजल स्तर इस समय 250 से 300 फीट तक नीचे तक चला गया है। गर्मियों में गाँव के अधिकतर कुएं सूख जाते हैं और हैंडपंप से भी पानी नहीं आता है। पानी के बढ़ते संकट के कारण लोग बोरवेल लगाते जा रहे हैं जिसके कारण जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। गाँव में पहाड़ियाँ अधिक होने से नाले भी हैं लेकिन नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नालों में आने वाला बरसात का सारा पानी बहकर निकल जाता है। गाँव के सभी हैंडपंप में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है जिससे लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। पानी रोकने और जल स्तर ऊपर उठाने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना गाँव के लोगों के पास नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। जिस भूमि पर कृषि की जाती है वह ज्यादातर पहाड़ों की ढलान पर और पथरीली है। जिनके पास समतल भूमि और सिंचाई का साधन है वही लोग धान और गेहूं पैदा कर पाते हैं। बाकी लोग बरसात में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर आदि पैदा करते हैं। खेती से लोगों के पास 3 से 6 महीने का खाने भर का अनाज होता है। बाकी समय उनको खरीद कर ही खाना पड़ता है। गांव में कृषि के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही एकमात्र रोजगार का साधन है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों को न तो 100 दिन रोजगार मिल पाता है और न ही उनको पूरी मजदूरी ही मिल पाती है। मनरेगा में पूरे वर्ष मात्र 50 से 60 दिन काम मिलता है और मजदूरी मात्र 70 से 80 रु. रोज मिलती है। मनरेगा में काम और मजदूरी नहीं मिलने के कारण गाँव के लोग घरों से बाजारों और कस्बों में रोजगार की तलाश में सुबह जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। वहाँ भी लोगों को महीने में मात्र 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है और मजदूरी भी 150 से 200 रुपए ही मिलती है। गाँव और निकट के कस्बों और बाजारों में काम नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे प्रांतों गुजरात और महाराष्ट्र में काम की तलाश में जाते हैं। वहाँ उनको 12 घंटे की मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी 250 से 300 रुपए प्रतिदिन ही मिलती है। शिक्षा के अभाव में दैनिक मजदूरी के अलावा अन्य कोई काम उनको नहीं मिलता है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनों की स्थिती	संभावनाएं
1	**जल -** कुँए नाले ट्यूबवेल हैंडपंप तलावड़ी तालाब	गेंहूवाड़ा गाँव का भूजल स्तर इस समय 250 से 300 फीट तक नीचे तक चला गया है। गाँव में पहाड़ियाँ अधिक होने से नाले भी हैं लेकिन नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नालों में आने वाला बरसात का सारा पानी बहकर निकल जाता है। गाँव के सभी हैंडपंप और बोरवेल में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है, जिससे लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। गाँव में तीन नाले हैं - 1. धोलीगार नाला 2. खोड़ा लिमड़ा नाला 3. श्मशान घाट वाला नाला इन नालों में बरसात के बाद पानी नहीं टिकता है। गाँव में निम्नांकित चार तालाब/तलावड़ियाँ हैं - 1. ससलाई तलावड़ी 2. माइंस तालाब(नया तालाब) 3. सारीया तालाब 4. बड़ा दरा बलवानिया तालाब निर्माण	गाँव के नालों पर एनिकट बन जाये तो पानी रुक सकता है और आस-पास के लोगों के काम आ सकता है। ये पानी भू-जल स्तर को भी बढ़ा सकता है। कुँए गहरे कर दिए जाएं और उनकी मरम्मत कर दी जाए तो सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी। चेक डैम बनवाना। सार्वजनिक कुएं की मरम्मत और गहरीकरण। नए तालाब निर्माण। दोनों तालाब के के गहरीकरण और उन पर रिंगवाल बनाना।
2.	**जमीन**	जमीन पहाड़ों की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ है। बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं। सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग अपने घरों की जमीन पर कुछ फलदार पेड़ जैसे आम, महुआ, नींबू और जलावनी	चारागाह भूमि पर तारबंदी और परकोटा निर्माण के संबंध में गाँव सभा में प्रस्ताव लिया गया है। गाँव की ढलान वाली, पथरीली एवं ऊबड़-खाबड़ समतलीकरण करके उसे कृषि योग्य बनाना। वृक्षारोपण करना।

		और इमारती लकड़ी के पेड़ भी लगाते हैं, जो उनके व्यक्तिगत काम में ही आती हैं।	

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव के लोग गाय, बैल, भैंस और बकरी पालते हैं, जो देसी नस्ल के हैं। गाँव में खेती की जमीन कम होने और चारागाह पर लोगों का कब्जा होने से पशुओं का चारा फरवरी तक खत्म हो जाता है। उसके बाद चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। इसलिए पशुओं को कम ही लोग पालते हैं। चारे की कमी के कारण उनके जानवर बहुत कमजोर हैं। गाय और भैंस भी बहुत कम दूध देती हैं। उस दूध से परिवार की ही जरूरत पूरी हो पाती है। मार्च के बाद गाँव के लगभग सभी लोगों के पास पशुओं का चारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद जुलाई तक बाज़ार से खरीद कर खिलाना पड़ता है। चारागाह भूमि की तारबंदी और परकोटा निर्माण के संबंध में गाँव सभा में प्रस्ताव लिया गया है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - डूंगरपुर जिला आदिवासी जिला है। पाँचवी अनुसूची में शामिल होने के कारण डूंगरपुर में पेसा कानून लागू होने से आदिवासियों के लिए बहुत तरह की सरकारी योजनाएं लागू हैं। लेकिन सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गाँव में 33 लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। एक की वृद्धा पेंशन बंद हो गई है। उसे फिर से चालू करवाने का प्रस्ताव गाँव सभा ने लिया है। गाँव की चार विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। एक 0 से 5 वर्ष और दो 6 से 18 वर्ष के बालक/बालिकाएं पालनहार योजना के लाभ से वंचित है। गाँव के सात विकलांगों को पेंशन अभी नहीं मिल रही है। गाँव के 41 लोगों को PM/CM आवास निर्माण की जरूरत है। इसके संबंध में गाँव सभा ने प्रस्ताव भी लिया है। गाँव के 19 लोगों के शौचालय निर्माण नहीं हुए हैं। दो लोगों के शौचालय निर्माण के भुगतान बकाया हैं। पेंशन योजना में गाँव के कई लोग पात्र होते हुए भी वंचित हैं, क्योंकि सरकारी पहचान पत्रों में उनकी उम्र कम लिखी गई है। उम्र का संशोधन भी होता है। यह जानकारी लोगों को नहीं है। यही हाल आवास के संबंध में है। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। आवास बनने से पहले आवेदक से 10,000 रु. की रिश्वत की माँग की जाती है। जो लोग नहीं दे पाते हैं उनको आवास नहीं मिलता है। उनको आवास की जरूरत चाहे कितनी भी हो। कुछ लोगों को भुगतान पूरा भी नहीं होता है। श्रमिक कार्ड किसी का बना ही नहीं है क्योंकि उनको साल में 100 दिन काम मिलता ही नहीं है। श्रमिक कार्ड उन्हीं का बनता है जिनके जॉब कार्ड पर 100 दिन का काम दर्ज हो।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	एक फले से दूसरे फले में जाने और अपने घर पर जाने के लिए रास्ते ठीक नहीं हैं। गाँव की पक्की सड़क टूट फूट गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों का मानकों के अनुसार काम नहीं कराया गया है। पंचायत द्वारा गाँव के जो रास्ते(सी.सी. सड़क और कच्चे रास्ते) बने हैं, वह भी पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडी ही है। वहाँ तक चार पहिया वाहन पहुँच पाना मुश्किल है। कभी-कभी आपसी विवाद और रास्ते के लिए जमीन नहीं देना भी रास्तों के निर्माण में बाधा का कारण बनता है। सबसे ज्यादा समस्या रास्ते के लिए लोक निर्माण विभाग और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनका पक्षपातपूर्ण रवैया ही है।	गाँव सभा के गठन के बाद से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने गाँव सभा की बैठक करके रास्ते निर्माण के लिए प्रस्ताव लिए हैं और उसे पंचायत में जमा भी करवाया है। उसके निर्माण के लिए आगे पैरवी की योजना भी बनाई है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव की दोनों आंगनवाड़ियों में शौचालय और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था और रसोई घर भी नहीं है। गाँव में दो विद्यालय है। दोनों विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गरीबी और अरुचि के कारण भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल में शौचालय, शुद्ध पानी की व्यवस्था और वहाँ बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी समतल नहीं है। छात्र आर्थिक तंगी से आगे की शिक्षा	आंगनवाड़ियों में और विद्यालय मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पानी शौचालय के साथ ही स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और बच्चों के बैठने के लिए कमरों का निर्माण किया जाए। गाँव सभा मजबूत	**तात्कालिक**	

			जारी नहीं रख पाते हैं और जीविका की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं।	हो। शिक्षा के प्रति गाँव के लोगों में जागरूकता हो।		
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं वह सारी समस्या इस गाँव में भी है। भूमि का असमतल होना, पहाड़ों की ढलान और पथरीली होना। कृषि भूमि पर सिंचाई का सर्वथा अभाव। उन्नतशील बीज और खाद की कमी। आधुनिक खेती के ज्ञान का सर्वथा अभाव। कृषि विभाग की उपेक्षा। लगातार भूजल स्तर का नीचे जाना। जल संरक्षण की कोई योजना ना होना। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों के चयन की अज्ञानता। उपर लिखे कारणों के चलते वर्ष भर का भोजन खेती से जुटा पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है।	गाँव के खेतों का समतलीकरण। खेतों की मेड़ बंदी। खेत तलावडी का निर्माण। चेक डैम का निर्माण। उन्नतशील खाद और बीजों की उपलब्धता। सिंचाई की व्यवस्था। भूजल स्तर को ऊँचा करने के लिए जल संरक्षण की योजना। कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों की मदद करना। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों के चयन की जानकारी।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान**	**व्यक्तिगत**	गाँव के लोगों ने योजना के तहत आवास बनवाये हैं पर उनके भुगतान संबधी समस्या है। साथ ही पंचायत द्वारा जो आवास का आवंटन होता है, उसमें पंचायत पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। इसके अलावा प्रति	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया	**तात्कालिक**	

	संबधी समस्या		व्यक्ति दस हजार रु. की माँग भी की जाती थी। जो अब गाँव सभा बनने का बाद अंकुश में है, फिर भी कुछ लोग आवास से वंचित हैं।	राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।		
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	आदिवासियों को उनके भूमि अधिकारों को न देना पूरे देश में एक समस्या है। उसी समस्या से गेंहूवाड़ा गाँव के लोग भी जूझ रहे हैं। पहले राजस्व विभाग लोगों को उनकी जमीन के पट्टे 3 साल तक लगातार जारी करता था। जिससे लोग धारा 91 के तहत अपनी जमीन के नियमन का दावा करके जमीन की खातेदारी का पा जाते थे। लेकिन अब सरकार ने बड़ी चालाकी से किसी जमीन का पट्टा लगातार 3 वर्ष तक काबिज भू मालिकों को नहीं दे रही है। उनकी जमीन के पट्टों को हर वर्ष दूसरे के नाम से जारी किया जा रहा है। जबकि उस जमीन पर सैकड़ों वर्षो से वह काबिज हैं। 3 साल तक अपनी जमीन के पट्टे उनके नाम नहीं होने से वह नियमन नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी चालाकी से राजस्व विभाग में पेनल्टी लेना बंद कर दिया है। पेनल्टी नहीं भरने से उनके पट्टे स्वत: समाप्त होते जा रहे हैं। जमीन भले ही उनके कब्जे में है लेकिन वह हकदार नहीं रहे।	गाँव सभा के गठन के बाद गाँव सभा की बैठक में काबिज भूमि की हकदारी के लिए निर्णय लिया गया है कि गाँव सभा सामूहिक रूप से सभी लोगों की जमीन के कागजात तैयार करके राजस्व विभाग में दावा करेगी और धारा 91 के तहत नियमन का दावा भी गाँव सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गाँव सभा ने गाँव के कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी है।	**दीर्घकालिक**	

			यह सब आदिवासियों की अज्ञानता के कारण हो रहा है और सरकार इसका पूरा फायदा उठा रही है। आगे चलकर उनकी अकूत संपदा को हथियाने की पूरी-पूरी योजना सरकार बना चुकी है।			
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गेंहूवाड़ा गाँव का भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। रख-रखाव के अभाव के कारण गर्मियों में गाँव के अधिकतर कुएं सूख जाते हैं और हैंडपंप से भी पानी नहीं आता है। पानी के बढ़ते संकट के कारण लोग बोरवेल लगाते जा रहे हैं, जिसके कारण जल स्तर और तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और नालों में आने वाला बरसात का सारा पानी बहकर निकल जाता है। गाँव के सभी हैंडपंप में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी आता है जिससे लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो जाता है।	बरसात के पानी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग और जल संरक्षण विभाग आदि को मिलकर योजना तैयार करना और योजना को लागू करना। जिससे गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सके। शुद्ध पीने के पानी के लिए आर. ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर) प्लांट लगाना तथा बरसात के पानी को संरक्षित करके पीने लायक तैयार करना।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन			
सड़क, कच्चे रास्ते	गाँव में जाने के लिए टूटी-फूटी पक्की सड़क है लेकिन उस पर कोई साधन नहीं चलता है। कहीं आने-जाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर तक पैदल या ऑटो से जाना पड़ता है। गाँव के एक फले से दूसरे फले में जाने के लिए सभी रास्तों को चौड़ा नहीं करना। सी.सी. रोड नहीं बनाना। पगडंडियों को चौड़ा नहीं करना। रास्ते सम्बन्धित विवाद।	गाँव तक आने-जाने के लिए साधन चलने से लोगों को समय की बचत और छोटे-मोटे व्यवसाय के लिए अवसर मिलेंगे। मरीजों को अस्पताल ले जाने और लाने की सुविधा होगी। बच्चों और बड़ों को आने-जाने में सुविधा होगी।	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। आपसी विवाद को निपटाना।
जल -			
नाले तालाब कुआ, हैण्ड पम्प, बोरवेल एनिकट	नाले पर योजनाबद्ध तरीके से एनिकट निर्माण ना होना। तालाब की मरम्मत और गहरीकरण के प्रति पंचायत की उदासीनता। नए तालाब निर्माण की कोई योजना ना होना। जल संरक्षण के प्रति गाँव के लोगों की उदासीनता। बोरवेल की अधिकता और उससे पानी का अधिकतम दोहन करना।	जल संरक्षण की बेहतर योजना से भूजल स्तर ऊपर आने से बेहतर सिंचाई की व्यवस्था से खेती में उत्पादन की बढ़ोत्तरी। गाँव में सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से चारागाह में चारे की व्यवस्था से पशुपालन। सब्जी की खेती बागवानी की सुविधा। शुद्ध पीने के	गाँव सभा को मजबूत करना। उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। नए जल स्रोत का निर्माण। जल संरक्षण योजनाओं की जानकारी। उसके लिए प्रयास करना। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना।

	लगातार नीचे गिरता भूजल स्तर।	पानी की व्यवस्था।	
आजीविका संवर्धन			
आजीविका संवर्धन जमीन जंगल पहाड़ पशुपालन मछली पालन सब्जी की खेती	जमीन का पहाड़ी ढलान, ऊँची नीची होना। पथरीली और ऊबड़-खाबड़, असमतल होना। जंगल का वन विभाग के कब्जे में होना। चारागाह पर अवैध कब्जा। उन्नतशील नस्ल के पशुओं का अभाव। सिंचाई की व्यवस्था न होना। जल संरक्षण के प्रति उदासीनता। उन्नत बीज और खाद की अनुपलब्धता।	कृषि योग्य जमीन का समतलीकरण। उन्नतशील खाद और बीज तथा बेहतर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी। जंगल को गाँव सभा के अधीन करके लघु वनोपज लेना। गौण खनिज निकालना। नए जल स्रोत का निर्माण और पुराने की मरम्मत। सब्जी की खेती, मछली पालन और पशुपालन।	सभी गाँव वासियों को पेसा कानून की जानकारी देकर मजबूत गाँव सभा तैयार करना। सामुदायिक वन अधिकार दावा पत्र प्राप्त करना। सरकारी विभागों और पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकना।
भूमि			
चारागाह - कृषि भूमि - कुए की उपलब्धता गाँव में नाले और तालाब की उपलब्धता	भूमि के समुचित प्रबंधन का अभाव, चारागाह पर अवैध कब्ज़ा, कृषि भूमि पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है। उन्नतशील बीज का अभाव। सिंचाई के साधनों का अभाव।	सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करके और खेतों का समतलीकरण करके और उन्नतशील बीज और कम्पोस्ट खाद का उपयोग करके कृषि उपज बढाई जा सकती है। गाँव में पशुपालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करके। सब्जी की खेती करके। पुराने तालाब की	चारागाह पर अवैध कब्ज़ा हटाने में परेशानी। ऊबड़-खाबड़ कृषि भूमि पथरीली होने से समतल करने में आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव के कारण उन्नतशील बीजों की अनुपलब्धता। आर्थिक अभाव के कारण सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाना। जंगल को गाँव सभा के अधीन कर इसे पुनर्जीवित करना।

		मरम्मत करके और नए तालाब का निर्माण करके मछली पालन करना।	

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

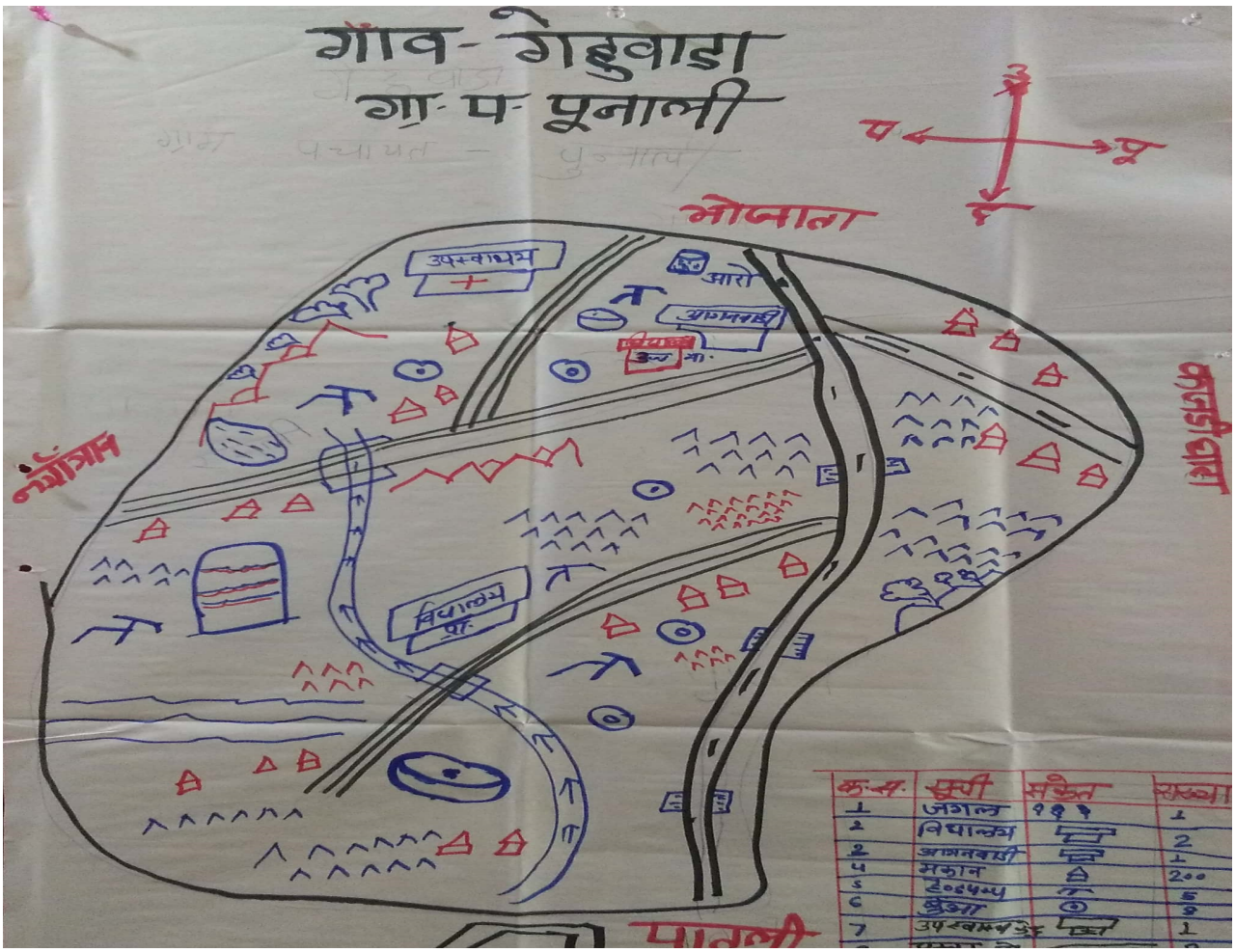

नजरिया नक्शा गेंहूवाड़ा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	33
	वृद्धा पेंशन बंद हो गई है उसे फिर से चालू करना है	1
	विधवा पेंशन	4
	पालनहार योजना(0 से 5 वर्ष)	1
	पालनहार योजना(6 से 18 वर्ष)	2
	विकलांग पेंशन	7
2	PM/CM आवास निर्माण के संबंध में	41
3	शौचालय के संबंध में	19
	शौचालय निर्माण के भुगतान बकाया	2
4	स्कूल के संबंध में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गेहूंवाड़ा** परकोटा मरम्मत मैदान समतलीकरण 6 कमरों की छत नई बनाना शौचालय निर्माण **राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलवनिया** शुद्ध पानी के लिए आर.ओ. फिल्टर मैदान समतलीकरण अध्यापकों की नियुक्ति **मा बाड़ी स्कूल देवलिया** परकोटा निर्माण रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर प्लांट रसोई घर निर्माण	3
5	**उप स्वास्थ्य केंद्र गेहूंवाड़ा** कमरों की छत की मरम्मत पक्की फर्श बनाना शौचालय निर्माण नया परकोटा निर्माण	1
6	**राशन की दुकान निर्माण** स्कूल भवन के पास में राशन की दुकान निर्माण	1

	राशन की दूकान से गेंहू, चावल, चीनी, केरोसीन सभी को मिले	
7	**सामुदायिक भवन निर्माण** धूणी के पास देवतिया बलवानिया चौराहे के पास सरलाई तलावडी के पास सामुदायिक भवन	3
8	**आंगनवाड़ी के संबंध में** फर्श की मरम्मत शौचालय निर्माण आंगनवाड़ी गेहूं वाड़ा आंगनवाड़ी बोर पालड़ा	2
9	रास्ता निर्माण के संबंध में **कच्ची सड़क (ग्रेवल) - 5** 6. ईश्वर भांणजी के घर से ओमप्रकाश के घर तक 7. रामू के घर से चौराहे के घर तक ग्रेवल सड़क 8. दिनेश/हकरा के घर से धोणि तक ग्रेवल सड़क पुलिया एवं रिंग वाल के साथ 9. वर्ली से स्कूल तक ग्रेवल सड़क 10. भैरव जी से सरदारों के तालाब तक रिंग वाल **सी.सी. सड़क - 13** 1. दलजी धुला के घर से गट्टू कांनजी के घर तक सी.सी. सड़क 2. गट्टू कांनजी के घर से धूला नाथू के घर तक सी.सी. सड़क 3. धूला नाथू के घर से हरीश हक'रा के घर तकसी.सी. सड़क 4. गेहूं बाड़ा मुख्य सड़क से रामलाला/दोला के घर तक सी.सी. सड़क 5. गेहूं वाला मुख्य सड़क से प्रभु अर्जुन के घर तक सी.सी. सड़क 6. देवरिया मुख्य सड़क से श्मशान घाट तक सी.सी. सड़क 7. बोर पालना से दिनेश/शंकर के घर तक सी.सी. सड़क 8. ... से ... तक सी.सी. सड़क 9. मुख्य सड़क बलवानिया से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलवानिया तक सी.सी. सड़क 10. बूड़ी डूंगरी से स्कूल तक सी.सी. सड़क 11. मुख्य सड़क बलवानिया से महेश लक्ष्मण के घर तक सी.सी. सड़क 12. भवर सिंह के घर से शांति के घर तक रिंगवाल निर्माण 13. सुर्थ सिंह से नाले तक रिंग वाल	18
10	**तालाब गहरीकरण और नया तालाब निर्माण के संबंध में** 11. ससलाई तलावड़ी गहरीकरण मय रपट निर्माण	6

	12. माइंस तालाब(नया तालाब)गहरीकरण रिंग वाल निर्माण 13. सारीया तालाब गहरीकरण मय रिंग वाल निर्माण 14. नया तालाब निर्माण 15. बड़ा दरा बलवानिया तालाब निर्माण 16. कजड़ा वाली तलावड़ी निर्माण	
11	पुराने हैंडपंप की मरम्मत के संबंध में	4
	नए हैंडपंप	15
12	कैटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा निर्माण, खेत तलावड़ी, मेड़बंदी नया कुआ निर्माण, पुराने कुओं का गहरीकरण	70
13	चेक डैम निर्माण के संबंध में	36
14	वृक्षारोपण के संबंध में चरागाह भूमि पर 500 बीघा जमीन पर	1
15	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1
16	चरागाह भूमि पर 480 बीघा पर तारबंदी और परकोटा निर्माण के संबंध में	1
17	सामाजिक विवाद निपटाने के संबंध में	1
18	सामाजिक कुरीतियां रोकने के संबंध में डायन प्रथा मौताणा प्रथा बाल विवाह बाल श्रम	1
19	श्मशान घाट के संबंध में सी.सी. सड़क निर्माण टीन शेड निर्माण परकोटा निर्माण हैंडपंप श्मशान घाट, राजपूत समाज, हैंडपंप सी.सी. कार्य	1
20	एनीकट निर्माण और मरम्मत के संबंध में 1. धोलीगार 2. खोड़ा लिमड़ा 3. श्मशान घाट 4. मरम्मत कार्य और गहरीकरण	4

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

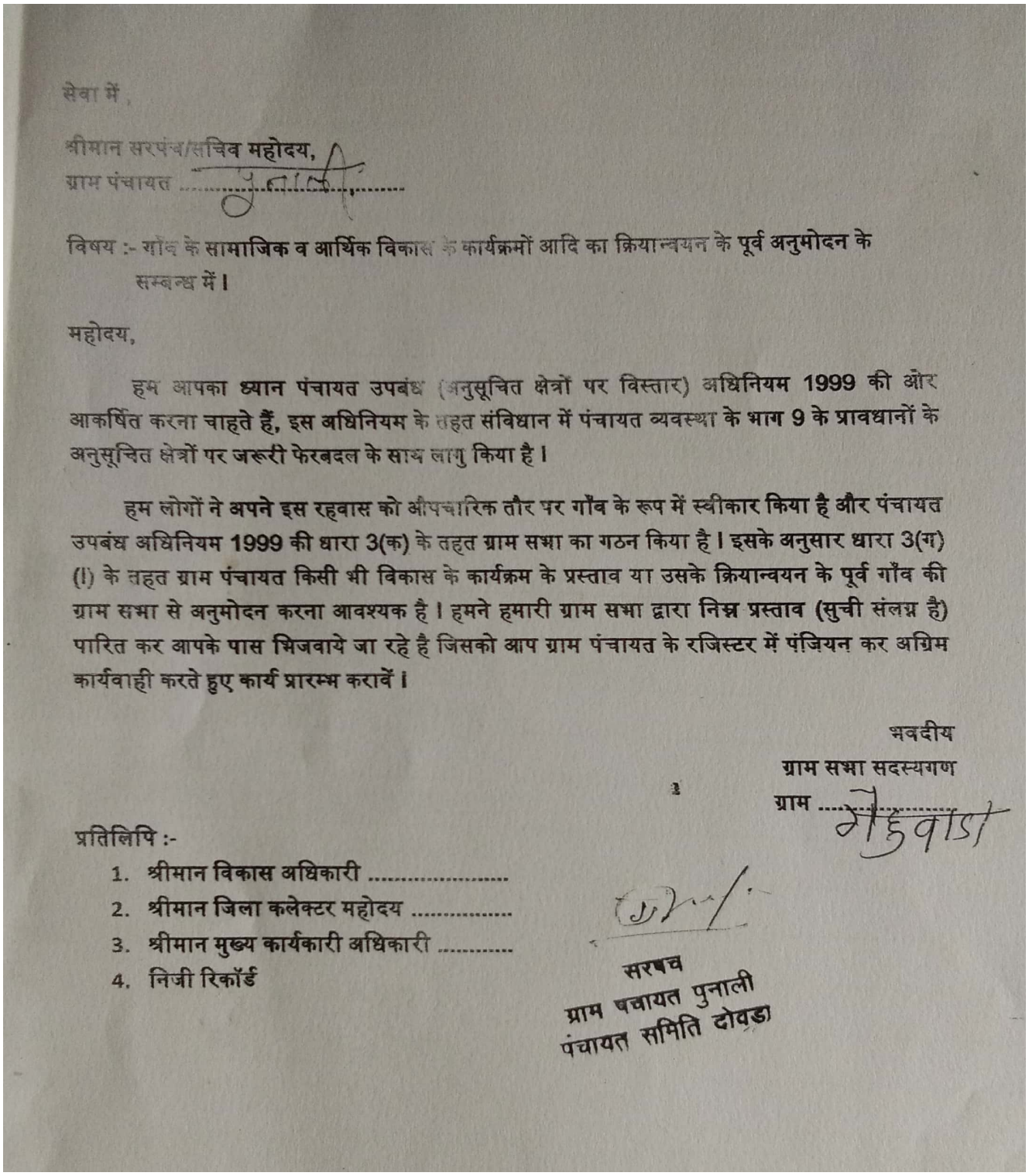

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......पुनाली.........

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ......गोडवाडा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

सरपच
ग्राम पचायत पुनाली
पंचायत समिति दोवडा

प्रस्ताव कवरिंग

(1)

8/9/2018

गाँव सभा - गेहूवाड़ा ग्राम पंचायत पुनाली

पेसा कानुन 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 8/9/2018 को गेहूवाड़ा गांव की गांव सभा की बैठक गांव के चौराहे पर आयोजित की गयी। गांव सभा में मौजुद गांववासियों ने वार्ड पंच लक्ष्मणजी अहारी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गयी। गांव सभा की बैठक मे निम्नलिखीत प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1. पेंशन के सम्बन्ध में
2. पी.एम. / सी.एम आवास के सम्बन्ध मे
3. शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में
4. स्कूल के सम्बन्ध में
5. उप. स्वास्थ केन्द्र के सम्बन्ध में
6. राशन की दुकान के सम्बन्ध में
7. सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में
8. आंगनवाड़ी के सम्बन्ध मे / मां बाड़ी के सम्बन्ध में
9. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध मे
10. तालाब निर्माण / गहरीकरण के सम्बन्ध में
11. नये एवं पुराने हेण्डपम्प के सम्बन्ध मे
12. खेत समतलीकरण / पशुबाड़ा / खेततलावड़ी (केटेगरी 4 के कार्य)
13. चेकडैम निर्माण
14. एनिकट निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध मे
15. वृक्षारोपण के सम्बन्ध मे
16. खातु का बिला भूमी पर व्यक्तिगत दावा के सम्बन्ध मे
17. चारागाह भूमी पर परकोटा एव तारबन्दी के सम्बन्ध में
18. सामाजिक विवाद निपटाने के सम्बन्ध में
19. सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध मे
20. श्मशान घाट के सम्बन्ध में

प्रस्ताव प्रथम पेज

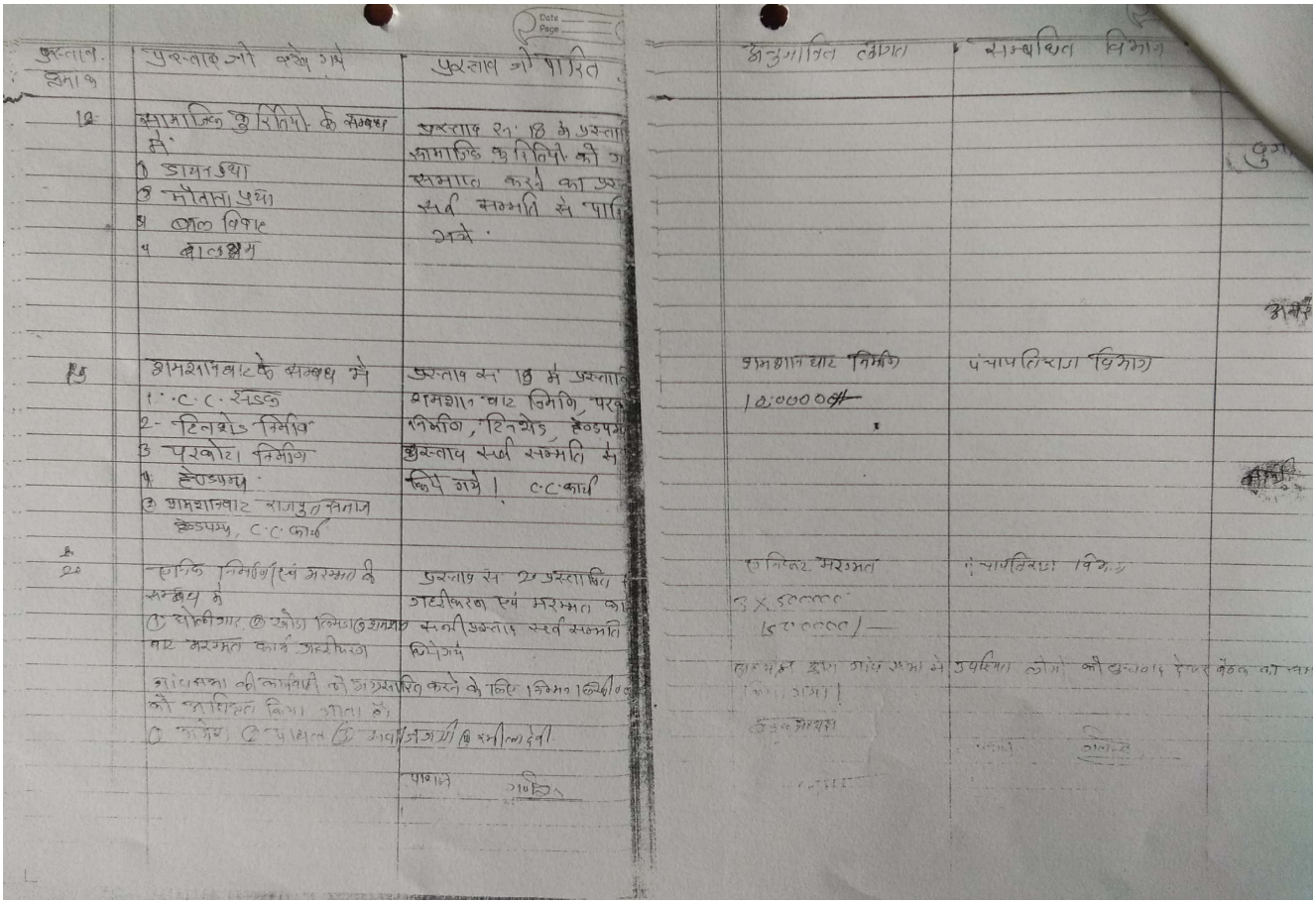

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

क्र.	नाम	फोन न.
1	गणेश लक्ष्मण	9928557274